51

उत्तराखण्ड शासन
समाज कल्याण विभाग
(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति नियोजन प्रकोष्ठ)
संख्या– 369 /XVII-1/14–90(प्रकोष्ठ)/2014
देहरादून, दिनांकः 10 अक्टूबर, 2014
नवम्बर

अधिसूचना

अनुसूचित जाति उप योजना एवं जनजाति उप योजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतु राज्य में प्रख्यापित "उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना (नियोजन, धनाबंटन तथा उपयोग) अधिनियम–2013" की धारा 25 के क्रम में अधिनियम में निहित उत्तरदायित्वों के निर्वहन करने वाले कार्मिकों एवं अधिकारियों को उत्कृष्ट कार्य के अभिप्रेरण हेतु पुरस्कार प्रदान करने तथा कार्य में समुचित परिश्रम न करने एवं उदासीनता बरतने वाले सरकारी अधिकारी/कर्मचारी को दण्डित करने हेतु एतद्द्वारा निम्न प्रकार व्यवस्था की जाती है :

1. कार्य में समुचित परिश्रम न करने एवं उदासीनता बरतने वालों को दण्डित करना :

नोडल विभाग अथवा राज्य समिति द्वारा यह समाधान हो जाने पर कि कोई विभाग अथवा कोई अधिकारी/कर्मचारी निम्नांकित कृत्यों में से किसी एक अथवा अधिक कृत्यों के लिए उत्तरदायी है, तब उनके विरूद्ध उत्तरांचल सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003/यथासंशोधित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2010 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु नोडल विभाग (समाज कल्याण विभाग) द्वारा सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को संस्तुति की जायेगी तथा सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को इस सम्बन्ध में यथाशीघ्र कार्यवाही करते हुए नोडल विभाग को सूचित किया जाना होगा :

(1) अधिनियम की धारा–9 के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप पर अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना समयावधि में नोडल विभाग को प्रस्तुत नहीं करना।

(2) अधिनियम की धारा–13 के प्राविधानानुसार अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय के अनुसार सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत क्रमशः अनुदान संख्या–30 एवं 31 की मांग में सम्मिलित करवाने की कार्यवाही नहीं करना।

(3) अधिनियम की धारा–15 के प्राविधानानुसार अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना मद में निर्धारित बजट को जारी करने में उदासीनता बरतना।

(4) अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना की नियमित वित्तीय एवं भौतिक प्रगति समयावधि में नोडल विभाग को प्रस्तुत नहीं करना।

(5) अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना हेतु क्रमशः अनुदान संख्या–30 एवं 31 में प्राविधानित धनराशि का उपयोग/व्यय नहीं किया जाना।

क्रमशः ..... 2 पर

(6) अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना हेतु क्रमशः अनुदान संख्या–30 एवं 31 में प्राविधानित धनराशि का दुरूपयोग किया जाना।

(7) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित विभागीय संकेतक (indicators) नोडल विभाग को उपलब्ध नहीं कराना।

(8) किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना के क्रियान्वयन में रूचि नहीं लेना अथवा उदासीनता बरतना अथवा अधिनियम का अनुपालन नहीं करना।

2. उत्कृष्ट कार्य के अभिप्रेरण हेतु पुरस्कार प्रदान करना :

(1) यदि किसी विभाग द्वारा अथवा किसी विभाग के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अथवा जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना के क्रियान्वयन में विशेष रूचि लिया जाना पाया जाता है तब सम्बन्धित विभाग की अनुशंसा पर राज्य समिति ऐसे विभाग अथवा अधिकारी/कर्मचारी को पुरस्कृत करने पर विचार करेगी।

(2) पुरस्कार के रूप में सम्बन्धित विभाग अथवा अधिकारी/कर्मचारी को प्रशस्ति पत्र अथवा प्रशस्ति पत्र और मानदेय दिया जा सकेगा अथवा सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को एक वेतन वृद्धि स्वीकृत करने की संस्तुति की जा सकेगी।

(एस. राजू)
अपर मुख्य सचिव एवं
समाज कल्याण आयुक्त।

संख्याः 369 (1)/XVII-1/14–90(प्रकोष्ठ)/2014/तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 निजी सचिव–महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2 निजी सचिव–मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3 निजी सचिव, मा. मंत्री, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड।
4 निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5 निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन।
6 निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव (FRDC शाखा), उत्तराखण्ड शासन।
7 समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8 समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9 मण्ड़लायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल।
10 समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11 महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।

क्रमशः ..... 3 पर

12 निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की, जनपद हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को उत्तराखण्ड के सरकारी गजट में प्रकाशित कर 300 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13 निदेशक, कोषागार, लक्ष्मी रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।
14 निदेशक, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
15 समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
16 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बी. आर. टम्टा)
अपर सचिव।